न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगगांनगर

अहमद यार बनाम स्टेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्या :–
प्रकरण संख्या (GCMS) :– 2022/207

30.03.2022 यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत जरिये वकील श्री सुभाष कटारिया के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.04.2022 को पेश हो।

27.04.22 पत्रावली पेश। श्रीमान पीओ साहब प्रशासन गांवों के संग अभियान में पधारे हुए हैं। पत्रावली आइन्दा दिनांक 06.05.22 को पेश हो।

06.05.22 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प [illegible] ग्रा. पं. 62WM में पेश। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। जमाबंदी में संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज अन्य काश्तकार भी उपस्थित। तहसील रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल मिसल की गई। प्रार्थी ने निवेदन किया कि विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का घरेलू नाम आमी पुत्र ईमाम दर्ज कर दिया गया

प्र. नि. [illegible]
प्र. नि. [illegible]
प्र. नि. [illegible]
प्र. नि. [illegible]

जबकि प्रार्थी का सही नाम अहमदयार पुत्र इमाम खां है। एवं प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम अहमदयार पुत्र इमाम खां ही दर्ज है। इसलिए विवादित भूमि मध्य 62wm के प.नं. 210/27 के कि.नं. 1ता 25 की 6.325 हैक्टेयर भूमि के 1/4 हिस्सा में प्रार्थी का नाम आमी पुत्र इमाम दुरुस्त करने के आदेश प्रदान करें। तहसील से प्राप्त रिपोर्ट में भी उक्तानुसार नाम दुरुस्त करने की अनुशंषा की गई है। कैम्प कोर्ट में भी तहसीलदार स्वयं उपस्थित तहसीलदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्तानुसार विश्लेषण करने के बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि तहसील घड़साना के चक 62wm के प.नं. 210/27 के कि.नं. 1ता 25 की 6.325 हैक्टेयर भूमि के 1/4 हिस्सा में प्रार्थी का नाम आमी पुत्र इमाम के स्थान पर अहमदयार पुत्र इमाम खां करने

सि

फर्द अहकाम

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार (राजस्व) घड़साना को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद करें। यह आदेश आज दिनांक 06.05.2022 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट ग्रा.पं. 62 जीबी मे मजमे-आम में लिखवाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (प्रियंका तलानिया) उपखण्ड अधिकारी घड़साना	